(265)

II/निग०/सिंगरौली/2018/0331

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिलारीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. भारत दो रु
2रु. भारत दो रु
2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश 10-01-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बृजेश कुमार पिता लाले यादव उम्र 25 वर्ष, पेशा कृषि,

निवासीग्राम अजगुढ, तहसील चितरंगी जिला सिगरौली म०प्र०

----- आवेदक/निगराकार

वनाम

शिव प्रसाद तनय भागीरथी अहिर निवासी ग्राम अजगुढ, तहसील

चितरंगी जिला सिगरौली म०प्र०------- अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार

तहसील चितरंगी वृत्त दुधमनिया जिला सीधी वर्तमान

जिला सिगरौली के रा०प्र०क्र० 124/अ19:4:/ वर्ष96-97

मे पारित आदेश दिनांक 27-2-97, जिसके

द्वारा आ०नं०65/ 1ख रकवा 2-022है० व 106/

0-200 है० कुल रकवा 2-223 है० अजगुढ, केसंबंध मे।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता

सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

---

(265)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सिंगरौली / भू–रा0 / 2018 / 0331 जिला–सिंग

वृजेश कुमार यादव / शिव प्रसाद अहिर

(1)	(2)	
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 124 / अ–19(4) / 1996–1997 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	